संख्या– 1040 /उच्च शिक्षा/2003

प्रेषक,

जे0 पी0 जोशी,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनाँक 29 नवम्बर, 2003

विषयः– विशिष्ट महाविद्यालयों की स्थापना के लिये राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के आहरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 590/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 07 जुलाई, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस आदेश द्वारा आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना मद में प्राविधानित धनराशि रू0 69,00000/– मात्र (रू0 उनहत्तर लाख मात्र) निदेशक उच्च शिक्षा के निवर्तन पर रखी गयी थी। प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार के उपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि निम्नांकित विवरणानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

10. आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना	धनराशि हजार रू0 में
07. मानदेय	900
26. मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयत्र	1000
29. अनुरक्षण	1000
42. अन्य व्यय	4000
योग	6900

2. मानदेय मद से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण हेतु आमंत्रित शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा जो कि आचार्य को रू0 500.00 प्रति घंटा, उपाचार्य को रू0 250.00 प्रति घंटा तथा वरिष्ठ प्रवक्ता को रू0 150.00 प्रति घंटा दिया जाएगा।
3. मशीन, साजसज्जा/उपकरण मद से उपयोगी उपकरणों जो महाविद्यालय के पास पूर्व से न हों क्रय किये जाएंगे। इस मद में प्राविधानित धनराशि से अनावश्यक व्यय यथा फर्नीचर, पर्दे, मैट, टेलीवीजन, आदि क्रय नहीं किये जाएंगे।
4. अनुरक्षण मद से रंगाई पुताई, नालियों की मरम्मत आदि जैसे महत्वहीन कार्य नहीं किये जाएंगे। यह धनराशि अतिआवश्यक जिसके बिना कार्य न चल सकता हो उन पर ही व्यय की जाएगी।

5. अन्य व्यय मद से सन्दर्भ पुस्तकें क्रय की जानी होगी। महाविद्यालय को अधिक छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये बुक फेयर के माध्यम से पुस्तकों का क्रय किया जाना होगा।
6. उक्त समस्त मदों पर धनराशि व्यय करने से पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा एक समिति गठित की जानी होगी तदोपरान्त सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। सामग्री क्रय में अनियमितता होने पर प्राचार्य के अतिरिक्त समिति के समस्त सदस्य भी उत्तरदायी होंगे।
7. प्राविधानित मदों के, अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की, प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य की प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा तथा समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय- व्ययक की अनुदान संख्या- 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक-2202- सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय कालेज तथा संस्थान,-10-आदर्श महाविद्यालय की स्थापना के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1607 / वित्त अनु-1,2003 दिनॉक 14 नवम्बर, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जे0 पी0 जोशी)
अनु सचिव ।

संख्या- 1040 (1)/उच्च शिक्षा/2003-तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून ।
(2) कोषाधिकारी , नैनीताल ।
(3) वित्त अनुभाग 1 / नियोजन प्रकोष्ठ।
(4) लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल
(5) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
(6) सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
(7) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अनु सचिव ।